ईमेल द्वारा

12015/05/2021-रा.भा. (त. क.)/पार्ट
गृह मंत्रालय,
(राजभाषा विभाग)

एन0डी0सी0सी - II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001
दिनांक: 23 मार्च 2023

कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा विभाग द्वारा सी डैक के माध्यम से "मेमोरी आधारित टूल-कंठस्थ"का निर्माण करवाया गया था । माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन "आत्मनिर्भर भारत तथा स्थानीय के लिए मुखर हो (be vocal for local)" से प्रेरणा लेते हुए इस टूल को आधुनिक सुविधाओं (जैसे न्यूरल मशीन अनुवाद, वायस टाइपिंग आदि) के साथ और अधिक उन्नत करने के उद्देश्य से इसका नवीन संस्करण कंठस्थ 2.0 विकसित किया गया है। यह टूल केंद्र सरकार के कामकाज में अत्यधिक मात्रा में नियमित आधार पर किए जाने वाले अनुवाद कार्य में लगने वाले अतिशय मानव संसाधन और समय को बचाने में उपयोगी साबित हो रहा है ।

2. राजभाषा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी केन्द्रीय कार्यालयों द्वारा बृहत स्तर पर कंठस्थ की कार्यशाला आयोजित करवाई जाए । यह कार्यशालाएं किसी भी कार्य दिवस में रखी जा सकती है। कंठस्थ 2.0 के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशाला हेतु राजभाषा विभाग में संपर्क किया जा सकता है और इसके लिए **राजभाषा विभाग मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।**

3. कंठस्थ कार्यक्रम के प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए अनुरोध है कि सभी कार्यालय भी इसके प्रशिक्षक तैयार करें ।

4. **जिन कार्यालयों में कंठस्थ 2.0 के प्रशिक्षक तैयार हैं, उनकी सूची भी निम्नलिखित प्रारूप में कार्यालय अध्यक्ष के अनुमोदन से राजभाषा विभाग को <u>techcell-ol@nic.in</u> पर भिजवाना सुनिश्चित करवाएं** -

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	तैनाती कार्यालय का पता (जनपद एवं राज्य का नाम)	मंत्रालय/विभाग का नाम	टिप्पणी (यदि कोई हो)

5. सूची के आधार पर **प्राप्त प्रशिक्षकों को उनके तैनाती राज्यों में समय समय पर आयोजित होने वाली कंठस्थ 2.0 की कार्यशाला में प्रशिक्षक के रूप में नामित किया जा सकता है ।**

6. इसे सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

27.03.2023

(बी. एल.मीना)
निदेशक (तकनीकी)

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग व उनके सम्बद्ध /अधीनस्थ कार्यालय एवं स्वायत्त निकायों के कार्यालय प्रमुख
2. सभी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3. निदेशक , केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
4. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
5. सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन अधिकारी , राजभाषा विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. सचिव , राजभाषा विभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी
2. संयुक्त सचिव , राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव